न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00319/2018/223

1. गोपालसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— अरविन्द कौशल सिंह पुत्र गोपालसिंह,
   1/2— विजयलक्ष्मी पुत्री गोपालसिंह,
   1/3— राज राजेश्वरी पुत्री गोपाल सिंह,
   1/4— मीना कंवर पुत्री गोपाल सिंह,
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र मुरजाद सिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी नांद, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती अनोप कंवर पबेवा धीरसिंह (मृतक)
4. श्रीमती कमोद कंवर पुत्री धीरसिंह पत्नि इन्दरसिंह जाति राजपूत खंगारोत निवासी किला दातरी, तह0 व जिला जयपुर ।
5. श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री धीरसिंह पत्नि बलवीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी हल्दीराम जी का प्याऊ, आगरा रोड़ बीकानेर, तह0 व जिला बीकानेर।
6. श्रीमती प्रकाश कंवर पुत्री धीरसिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, नि0 458, अ, बी.जे.एस.कोलोनी, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी नांद, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. गुड्डी कंवर पुत्री गोपालसिंह,
3. टीना कंवर पुत्री गोपालसिंह,
4. हुकमसिंह पुत्र गोपालसिंह,
5. विष्णुसिंह पुत्र गोपालसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी नांद, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 18.7.2018 अंतर्गत वाद संख्या 126/2013.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री विकास कुमार गुगरवाल,वकील अपीलांटस।
2. श्री चन्द्रपकाश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता मुरजात सिंह पुत्र वचनसिंह तथा वादिया संख्या 3 के पति तथा 4 से 6 के पिता धीरसिंह पुत्र प्रभूसिंह की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजियात ग्राम नांद तहसील पुष्कर में अवस्थित है । वादीगण के पूर्वज धीरसिंह एवं मुरजाद को दिनांक 9.6.1969 को धारा 15 के तहत ग्राम नांद स्थित आराजियात साबिक खसरा नंबर 570 रकबा 00—14—00 बीघा, खसरा नंबर 573 रकबा 10—18—10 बीघा, खसरा नंबर 576 रकबा 11—18—00 बीघा तथा खसरा नंबर 559 रकबा 5—05—10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 35—2—10 बीघा के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं दिनांक 9.6.1969 को खसरा नंबर 572 रकबा 14—17—00 बीघा, खसरा नंबर 571 रकबा 3—9—00 एवं खसरा नंबर 575 रकबा 8—15—00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 27—1—0 बीघा नियमन की गई । उक्त आराजियात वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित सारणी अ तथा ब में अंकित है जिसमें उपरोक्त साबिक खसरा नंबरान के वर्किंग खसरा नंबरान भी दर्ज है लेकिन उक्त आराजियात दिनांक 9.6.1969 के आदेशों की पालना मे वादीगण के पूर्वज मुरजादसिंह व धीरसिंह के नाम दर्ज नहीं हुई एवं उनका स्वर्गवास हो गया जिससे अधिकार अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु नायब तहसीलदार, पुष्कर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 25.10.1985 के द्वारा यह आदेश दिया गया कि उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त खसरा नंबरान श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार अजमेर के आदेश क्रमांक 1027 दिनांक 10.7.1969 के अनुसार धीरसिंह पुत्र प्रभूसिंह एवं मुरजादसिंह पुत्र वचनसिंह के नाम नियमन हुए है किन्तु अभी तक उनका नामांतकरण नहीं हुआ है एवं रिकार्ड में संबंधित पटवारी द्वारा अमल नहीं किया गया है अब उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश दिया गया है जिसके आधार पर नामांतकरण खोले जाने पर नंबरान का अमल रिकार्ड में कर दिया जावे । लेकिन फिर भी अमल नहीं हुआ जबकि ढाल—बांछ संवत् 2028 एवं 2029 में अंकन किया हुआ है । उपरोक्त आराजियात में से वर्किंग खसरा नंबर 710 मिन रकबा 0—14—00 को धीरसिंह एवं मुरजाद सिंह के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 171 दिनांक 31.1.1996 को तत्पश्चात् खातेदारी का नामांतकरण संख्या 383 दिनांक 5.12.2001 को तस्दीक किया गया है एवं वर्किंग खसरा नंबर 704 मिन रकबा 3—12—00 बीघा की गैर खातेदारी जरिये नामांतकरण संख्या 139 दिनांक 14.7.1995 को श्रीमती अनोप कंवर बेवा धीरसिंह को प्रदान की गई है । अतः शेष आराजियात की उद्घोषणा खातेदारी हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया जा रहा है । वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में से साबिक खसरा नंबर 559 हाल 704 रकबा 10—1—00 बीघा तथा साबिक खसरा नंबर 571 हाल 710 रकबा 1—18—00, साबिक खसरा नंबर 572 हाल 710 रकबा 10—5—00, तथा साबिक खसरा नंबर 575 हाल 710 रकबा 1—17—00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 1 नाथूसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता गोपालसिंह को गैर कानूनी रूप से वर्किंग जमाबंदी में गैर खातेदार

अंकित कर रखा है जबकि उक्त आराजियात के खातेदार स्वत्व वादीगण के पूर्वज धीरसिंह व मुरजादसिंह को धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के एवं नियमन आदेश के आधार पर पूर्व ही प्राप्त हो चुके थे । अन्त में दुरूस्ती की जाकर वादीगण को खातेदार घोषित करने का निवेदन किया गया एवं वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा कुछ आराजियात सिवायचक दर्ज हो जाने के कारण धारा 91 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत बेदखल करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अन्त में वर्किंग खसरा नंबर 710 मिन रकबा 0–14–00 बीघा तथा 704 मिन रकबा 3–12–00 बीघा के अतिरिक्त शेष आराजियात का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 द्वारा वादीगण का वाद ग्राम नांद स्थित आराजियात वर्किंग खसरा नंबर 704 मिन रकबा 10–3–00 बीघा में से 5–5–10 बीघा एवं खसरा नंबर 710 मिन रकबा 14–00–00 बीघा बाबत् स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया एवं वर्किंग जमाबंदी में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टि तर्क की जाकर वादगण के नाम वर्तमान अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदारी दर्ज किये जाने तथा शेष आराजियात बाबत् वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 शेष आराजियात बाबत वाद पत्र निरस्त करने की हद तक विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 इस प्रकार कायम की थी कि '' आया वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित सारणी–अ तथा ब में दर्ज खसरा नंबर 710 मिन व 704 मिन के अतिरिक्त शेष भूमि की खातेदारी उद्घोषणा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का नाम तर्क करवा कर प्राप्त करने के अधिकारी है । '' इस तनकी के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के पूर्वजों के हक में दिनांक 9.6.1969 को धारा 15 के तहत खातेदारी प्रदान करने एवं नियमन आदेश को स्वीकार करने करने के बावजूद शेष आराजियात यथा खसरा नंबर 708, 705 मिन, 709, 710 मिन, 717, 718, 719, 720, 711 एवं 712 जो सिवायचक खाते में दर्ज है जिसमें से अपीलांटस के पूर्वजों को दिनांक 9.6.1969 को धारा 15 के तहत कुल 35–2–0 बीघा नियमन की गई थी जो रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों यथा नियमन आदेश प्रदर्श– पी–1 पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 25.10.1985 प्रदर्श पी–2, पर्चा बंदोबस्त प्रदर्श पी–3 से सिद्ध हो चुका था इसके बावजूद मात्र खसरा नंबर 702 मिन रकबा 10–3–00 बीघा में से मात्र 5–5–00 बीघा एवं खसरा नंबर 710 मिन रकबा 14 बीघा जो बंदोबस्त विभाग द्वारा अपीलांटस की बजाय प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दी गई थी की दुरूस्ती की गई एवं शेष आराजियात बाबत् वादपत्र अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जबकि धारा 15 के तहत प्रदत्त खातेदारी अधिकार एवं नियमन आदेश की पालना में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार अपीलांटस के पूर्वज तत्पश्चात् अपीलांटस लगातार काबिज काश्त चले आना सिद्ध हो चुका था जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णरू बाबत् खसरा नंबर 708, 705 मिन, 709, 710 मिन, 717, 718, 719, 720, 711 एवं 712 निरस्त किया जाकर खसरा नंबर 704 मिन रकबा 5–5–0 एवं 710 मिन रकबा 14 बीघा की भांति उपरोक्त खसरा नंबरान का भी अपीलांटस को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण के पूर्वजों के हक में निष्पादित धारा 15 राज0काश्त0अधि0 में खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना एवं नियमन आदेश के विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा उक्त आदेश दिनांक 9.6.1969 आज दिवस तक बहाल है । उक्त आदेश की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा अपीलांटस के पूर्वजों के नाम नामांतकरण तस्दीक नहीं किया गया था इसलिये अपीलांटस द्वारा नायब तहसीलदार, पुष्कर के समक्ष पत्राचार किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 25.10.1985 के तहत आदेश दिनांक 9.6. 1969 की पालना में नामांतकरण तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किये जाने हेतु राजस्व एजेन्सी को निवेदन करने के बावजूद अमल दरामद नहीं किया गया तत्पश्चात् वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 9.6.1969 के आधार पर वादग्रस्त आराजियात के खातेदार स्वत्व वादीगण/अपीलांटस में निहित हो चुके है, मात्र उक्त आदेश की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा अधिकार अभिलेख में अमल दरामद नहीं करने के कारण वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतया सिद्ध होने के बावजूद बिना किसी कारण के खसरा नंबर 704 मिन व 710 मिन के अतिरिक्त शेष आराजियात बाबत् वादपत्र गैर कानूनी रूप से निरस्त किया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि पर्चा बंदोबस्त प्रदर्श पी–3 एवं ढाल बांछ प्रदर्श पी–5 लगायत प्रदर्श पी–8 एवं नोटिस अंतर्गत धारा 91 प्रदर्श पी–9 तथा प्रदर्श पी–12 से आदेश दिनांक 9.6.1969 आज दिनांक प्रभाव में होने एवं उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी स्वत्व अधिकार अपीलांटस में निहित होकर अपीलांटस लगातार काबिज काश्त चला आना सिद्ध हो चुका था । इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष संपूर्ण वाद पत्र डिक्री किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 का निर्णय त्रुटिपूर्ण रूप से पारित करते हुए आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो शेष खसरा नंबरान की हद तक निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 बाबत् खरसरा नंबर 708, 705 मिन, 709, 710 मिन, 717, 718, 719, 720, 711 एवं 712 की हद तक निरस्त किया जाकर उक्त वर्णित आराजियात का भी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलांटस के नाम अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज किए जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2019 पेज 513 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 18.7.2018 को निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी नकल प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को सूचित कर दिया गया था जिस पर प्रार्थी संख्या 2 दिनांक 3.8.2018 को अधी0न्याया0 के समक्ष पुष्कर जाकर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 23.8.2018 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात् दिनांक 9.10.2018 को अधिवक्ता द्वारा फोन पर सूचित किया कि प्रमाणित नकल आप लेकर नहीं आये है एवं अपील की मियाद निकल चुकी है तब दिनांक 10.10.2018 को नवरात्रा के अवकाश के दिन प्रार्थी संख्या 2 लक्ष्मणसिंह नकल लेकर हाजिर हुआ तब उसी दिन अपील एवं प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तैयार करवाया जाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब

उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दिनांक 9.6.1969 को किस अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये है । साबिक खसरा नंबर 572 रकबा 14–17–00 बीघा में से 5–5–00 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 710 बने है तथा साबिक खसरा नंबर 571 रकबा 3–9–00 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 710 रकबा 1–18–00 तथा पुराने खसरा नंबर 575 रकबा 8–15–00 बीघा में से हाल खसरा नंबर 710 रकबा 1–17–00 बीघा भूमियां प्रतिवादीगण को आवंटित की गई है जिसके आधार पर जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है । धीरसिंह एवं मुरजाद सिंह को दिनांक 9.6.1969 को खसरा नंबर 570 रकबा 7 बीघा पर ही धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है जिससे अपीलांटस केवल मात्र 7 बीघा भूमि से अधिक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अपनी आवंटित खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । शेष आराजियात सिवायचक दर्ज है इसी कारण अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद इन आराजियात बाबत् निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में कथन किया कि वादीगण के पूर्वज धीरसिंह एवं मुरजाद को दिनांक 9.6.1969 को धारा 15 के तहत ग्राम नांद स्थित आराजियात साबिक खसरा नंबर 570 रकबा 00–14–00 बीघा, खसरा नंबर 573 रकबा 10–18–10 बीघा, खसरा नंबर 576 रकबा 11–18–00 बीघा तथा खसरा नंबर 559 रकबा 5–05–10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 35–2–10 बीघा के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं दिनांक 9.6.1969 को खसरा नंबर 572 रकबा 14–17–00 बीघा, खसरा नंबर 571 रकबा 3–9–00 एवं खसरा नंबर 575 रकबा 8–15–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 27–1–0 बीघा नियमन की गई थी लेकिन उक्त आराजियात दिनांक 9.6.1969 के आदेशों की पालना मे वादीगण के पूर्वज मुरजादसिंह व धीरसिंह के नाम दर्ज नहीं हुई एवं उनका स्वर्गवास हो गया जिससे अधिकार अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु नायब तहसीलदार, पुष्कर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 25.10. 1985 के द्वारा यह आदेश दिया गया कि उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त खसरा नंबरान श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार अजमेर के आदेश क्रमांक 1027 दिनांक 10.7.1969 के अनुसार धीरसिंह पुत्र प्रभूसिंह एवं मुरजादसिंह पुत्र वचनसिंह के नाम नियमन हुए है किन्तु अभी तक उनका नामांतकरण नहीं हुआ है एवं रिकार्ड में संबंधित पटवारी द्वारा अमल नहीं किया गया है अब उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश दिया गया है

जिसके आधार पर नामांतकरण खोले जाने पर नंबरान का अमल रिकार्ड में कर दिया जावे । लेकिन फिर भी अमल नहीं हुआ जबकि ढाल–बांछ संवत् 2028 एवं 2029 में अंकन किया हुआ है । उपरोक्त आराजियात में से वर्किंग खसरा नंबर 710 मिन रकबा 0–14–00 को धीरसिंह एवं मुरजाद सिंह के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 171 दिनांक 31.1.1996 को तत्पश्चात् खातेदारी का नामांतकरण संख्या 383 दिनांक 5.12.2001 को तस्दीक किया गया है एवं वर्किंग खसरा नंबर 704 मिन रकबा 3–12–00 बीघा की गैर खातेदारी जरिये नामांतकरण संख्या 139 दिनांक 14.7.1995 को श्रीमती अनोप कंवर बेवा धीरसिंह को प्रदान की गई है । अतः शेष आराजियात की उद्घोषणा खातेदारी हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया जा रहा है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित चार तनकियात कायम की है ।

10. तनकी संख्याः–1– '' आया वादीगण वाद के पैरा संख्या 1 के अ व ब में दर्ज खसरा नंबर 710 मिन व 704 मिन के अतिरिक्त शेष भूमि की खातेदारी घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम तर्क करवा कर घोषणा करवाने के अधिकारी है ? इस तनकी के संबंध में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 29.6.2018 के अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 708 रकबा 3–12–00 बीघा तथा खसरा नंबर 705 मिन रकबा 3–15–00 बीघा, खसरा नंबर 709 रकबा 3–14–00, खसरा नंबर 710 मिन रकबा 14–02–10, खसरा नंबर 717 रकबा 56–15–10, खसरा नंबर 718 रकबा 1–14–00, खसरा नंबर 719 रकबा 7–12–00, खसरा नंबर 720 रकबा 4–10–00, खसरा नंबर 711 रकबा 1–14–00 बीघा तथा खसरा नंबर 712 रकबा 10–02–00 बीघा सिवायचक सरकारी खाते में दर्ज है । खसरा नंबर 704 मिन रकबा 10–03–00 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है किन्तु धारा 15 के तहत पारित आदेश दिनांक 9.6.1969 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 559 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 704 रकबा 5–5–10 बीघा के खातेदारी अधिकार वादीगण/अपीलांट को प्रदान किया जाना सिद्ध होने से अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 704 मिन रकबा 10–3–00 बीघा जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है, में से रकबा 5–5–10 बीघा भूमि की उद्घोषणा खातेदारी वादीगण को पाने का अधिकारी माना है जो विधिसम्मत् निर्णय है । इसी प्रकार वर्किंग खसरा नंबर 710 में साबिक खसरा नंबर 573 का रकबा 7–8–10 बीघा तथा 572 का रकबा 10–5–00 बीघा एवं खसरा नंबर 575 का रकबा 8–11–00 बीघा शामिल है जो नियमन आदेश दिनांक 9.6.1969 में अंकित है, जिसमें से 14 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये आवंटन आदेश उन्हें प्राप्त होना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 9.10.2013 में अंकित अवश्य किया गया है लेकिन कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त आराजियात वादीगण की नियमनुशदा आराजियात है जो त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गयी है जिसकी दुरूस्ती करवाने के वादीगण हकदार है । अधी0न्याया0 को यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है क्योंकि तहसीलदार, पुष्कर की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.6.2018 से स्पष्ट है कि शेष खसरा नंबर 708 रकबा 3–12–00, 705 रकबा 3–15–00, 709 रकबा 3–14–00, 710 मिन रकबा 14–02–10, 717 रकबा 56–15–10, खसरा नंबर 718 रकबा 1–14–00, 719 रकबा 7–12–00, 720 रकबा 4–10–00, 711 रकबा 1–14–00 एवं 712 रकबा 10–02–00 बीघा भूमिया सिवायचक सरकारी खाते में दर्ज है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार कभी भी वादीगण/अपीलांटस एवं उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत

वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

11. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर